



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-12102026-277073
CG-TL-E-12102026-277073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5354]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 6 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5566(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उपधारा- 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, (केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में महबूबनगर नगरीय मंडल के महबूबनगर गाँव की, महबूबनगर और मन्यमकोंडा स्टेशनों के बीच कि.मी.114/44-46 पर समपार संख्या 60 के स्थान पर सड़क उपरि पुल का निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा- 1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, महबूबनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, महबूबनगर, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर

प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उपधारा-)ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले के महबूबनगर नगरीय मंडल के महबूबनगर गाँव में, महबूबनगर – मन्यमकोंडा स्टेशनों के बीच कि .मी.114/44-46 पर समपार संख्या 60 के स्थान पर 3.025 एकड़ क्षेत्रफल में सड़क उपरि पुल का निर्माण।

गाँव: महबूबनगर महबूबनगर			मंडल: महबूबनगर नगरीय					जिला:	
क्र.सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	क्रसं.	सर्वे सं.	वर्ग मीटर में क्षेत्रफल	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का प्रकार सरकारी / निजी	भूमि की प्रकृति सिंचित / असिंचित	
1	महबूबनगर नगरीय	महबूबनगर	1	957	252.235	0.062	सरकारी खारिज खाता (शेगा स्थानीय निधि)	असिंचित	
2			2	958	192.530	0.048	सरकारी खारिज खाता आबादी	असिंचित	
3			3	959	458.630	0.113	पट्टा (शेगा स्थानीय निधि)	असिंचित	
4			4	960	89.632	0.022	पट्टा	असिंचित	
5			5	सड़क	4835.258	1.195	-	-	
6			6	रेलवे भूमि	438.995	0.108	-	-	
7			7	ग्राम स्थल	5972.678	1.476	ग्राम कंठम	-	
कुल					12239.958	3.025			

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.60/SC-DHNE/HYB]

जे सधर्मा देव रॉयल, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 6th October, 2026

S.O. 5566(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 60 at Km. 114/44 - 46 in between Mahabubnagar – Manyamkonda stations” in Mahabubnagar Village of Mahabubnagar Urban Mandal in Mahabubnagar District in the State of Telangana, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Mahabubnagar in writing and shall be set out the grounds thereof, and the Competent Authority, Revenue Divisional Officer, Mahabubnagar, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 60 at Km. 114/44 - 46 to an extent of 3.025 Acres in between Mahabubnagar – Manyamkonda stations” in Mahabubnagar Village of Mahabubnagar Urban Mandal in Mahabubnagar District in the State of Telangana.

Village: Mahabubnagar			Mandal: Mahabubnagar Urban			District: Mahabubnagar		
S. No	Name of Mandal	Name of Village	S. No	SurveyNo.	Extent in Square meters	Extent of area in Acres	Type of Land (Govt/Pvt)	Nature of Land (Wet/Dry)
1	Mahabubnagar Urban	Mahabubnagar	1	957	252.235	0.062	Sarkari Khareej Khatha (Shega Local Fund)	Dry
2			2	958	192.530	0.048	Sarkari Khareej Khatha Aabhadi	Dry
3			3	959	458.630	0.113	Patta (Shega Local Fund)	Dry
4			4	960	89.632	0.022	Patta	Dry
5			5	Road	4835.258	1.195	-	-
6			6	Railway Land	438.995	0.108	-	-
7			7	Village Site	5972.678	1.476	Grama Kantam	-
Total					12239.958	3.025		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.60/SC-DHNE/HYB]

J SADHARMA DEV ROYAL, CE/C/RSP